पूर्वोत्तर रेलवे

अधिसूचना संख्या 01

अधिसूचनासं0 18/मेड /59/4/ह0आ0/पार्ट–।। /चयन/लखनऊ/ दि0 8.01.2018

पूर्वोत्तर रेलवे मंडल चिकित्सालय बादशाहनगर/लखनउ में हाउस आफिसर हेतु दि0 24.01.2019 को वाक इन इन्टरब्यू 12.30 बजे पूर्वराह्न वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी/मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ के कार्यालय में निर्धारित किया गया है । जिसमें एक पैनल का गठन होगा इस पैनल से वरिष्ठता के आधार पर चिकित्सालय में रिक्त होने वाली हाउस आफिसर की रिक्तियॉ भरी जायेंगी इस पैनल के समाप्त होने पर प्रत्येक माह के पहले कार्य दिवस को (सोमवार से शुक्रवार तक) या कोई अन्य निश्चित तिथि में प्रवेश साक्षातकार (वाक–इन इन्टरव्यू) की प्रकिया की जायेगी । उक्त तिथि को समय 10.30 बजे तक वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी/मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

1.**आयु सीमा** साक्षात्कार के दिन 35 वर्ष या उसे कम होनी चाहिए, अुनसूचित जाति, अनूसुचित जनजाति के अभ्यर्थियों को पॉच वर्ष की एंव ओ.बी.सी अभ्यथी को तीन वर्ष की छूट होगी ।

2. न्यूनतम योग्यता

एमबीबीएस अभ्यर्थी को भारत के किसी राज्य चिकित्सा काउन्सिल में पंजीकृत होना तथा अनिवार्य इटर्नशिप पूरा किया होना चाहिए।

3. मानदेय

पूर्वोत्तर रेलवे चिकित्सालय में इंगेज्ड हाउस आफिसर को दिया जाने वाला मानदेय उत्तर प्रदेश के सरकारी चिकित्सालयों में कार्यरत हाउस आफिसर हेतु निर्धारित वेतन के समान देय होगा ।

आवश्यक प्रमाण पत्र:

1–शैक्षिक योग्यता के अंकतालिका हा0स्कूल,इण्टर,एमबीबीएस, के सभी प्रोफेशनल परीक्षा परिणाम की छाया प्रति।

2– आयु प्रमाण पत्र ।

3– अनुसुचित जाति/अनुसुचित जन जाति /ओबीसी प्रमाण पत्र।

4– रेल कमचारी के आश्रित होने का प्रमाण पत्र । अगर हो तो।

नियम व शर्तें :–

1–चयनित किये गये हाउस आफिसर का अधिकतम कार्यकाल दो वर्ष का होगा प्रथम प्रारंभिक इंगेजमेन्ट छः माह के लिय किया जायेगा एवं हर छः माह पर कार्य की समीक्षा के आधार पर छः माह की बढोत्तरी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/लखनऊ द्वारा किया जायेगा जो अधिकतम दो वर्ष तक की होगी । रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2018 ट्न्स सेल/हेल्थ/एस0आर0/जे0आर0/ दिनांक 6.06.2018 में निर्देशित शक्तीयों के अनुसार प्रमुख्य मुख्य चिकित्यसा निदेशक/गोरखपुर द्वारा अवधि विस्तार किया जा सकता है।

2– इगेजमेंन्ट अवधि में प्राइवेट प्रैक्टिस पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा ।

3–स्वंय की विमारी की अवस्था में बहिरंग सेवाओं का निशुल्क उपचार रेल चिकित्सालय में होगा ।

4–किसी भी प्रकार का अर्जित अवकाश अन्य किसी प्रकार का अवकाश देय नही होगा छः माह कार्य के अंतराल में चार दिन का आकास्मिक अवकाश देय होगा।

5–हाउस आफिसर को बहिरंग एवं अंतरंग डियूटी के साथ इमरजेन्सी में कार्य करना होगा एवं डियूटी के दौरान चिकित्सालय में रहना होगा। डियूटी का निर्धारण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के निर्देशानुसार किया जायेगा।
6–इंगेजमेन्ट पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता नही दिया जायेगा न ही कोई रेलवे पास दिया जायेगा ।

7– चौदह दिन की अग्रिम सूचना (दोनो पक्ष की तरफ से) देने के पश्चात सेवा समाप्त की जा सकती है । हाउस आफिसर की तरफ से नोटिस देने के उपरांत अनुपस्थित रहने की स्थिति में पूर्व में कार्य की गयी अवधि से 15 दिन के वेतन की कटौती कर ली जायेगी ।

नोटः अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि वह साक्षात्कार के समय कृपया अपने साथ आवेदन, मांगे गये शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं सभी अभिलेखो की मूल प्रतियॉ एवं उसकी एक–एक सत्यापित छाया प्रति ं एवं साथ ही एक नवीनतम फोटोग्राफ भी लायेंगें।

आवेदन का प्रारूप

1–नामः–

2–पिता का नामः–

3–पता /स्थायी /अस्थायीः–

4–फोन न0/मोबाइल नम्बरः–

5–सलग्नक प्रमाण पत्रः–

नोटः– यह अधिसूचना पूर्वोत्तर रेलवे के वेवसाइड www.ner.Indianrailways. gov. in.के लखनऊ मण्डल में उपलब्ध है।

मुख्य विशेषज्ञ स्त्री रोगे /प्रशासन
मं0 चि0, पूर्वोत्तर रेलवे/लखनऊ

प्रतिलिपिः
1. प्रधानाचार्य क्षत्रपति शाहू जी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय/ल0
2. महाप्रबंधक/चिकित्सा/गोरखपुर ।
3. प्रधानाचार्य इरा मेडिकल कालेज /ल0
4. चिकित्सा निदेशक/लनामिरेचि/गोरखपुर, सीआरआई, वाराणसी
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/उत्तर रेलवे/ल0
6. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/बलरामपुर चिकित्सालय/ल0
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/आरडीएसओ/ल0
8. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/इज्जतनगर, वाराणसी
9. मंरेप्र/का0/पूउरे/ल0
10. चिधि/ऐशबाग/ल0
11. सभी स्वा0 केन्द्र/लखनउ मंडल ।

कृते मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ